मध्यप्रदेश शासन
वित्त विभाग
==0==

क्रमांक एफ बी-9-5/81/आर-2/चार    भोपाल, दिनांक 13 नवम्बर, 1981

प्रति,

शासन के समस्त विभाग,
अध्यक्ष, म0प्र0 राजस्व मण्डल, ग्वालियर,
समस्त संभागीय आयुक्त,
समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त जिलाध्यक्ष,
मध्य प्रदेश ।

विषय:- सेवा निवृत्त शासकीय कर्मचारियों के भविष्य निधि के अंतिम भुगतान के प्रकरणों का शीघ्र निराकरण ।

---

मध्य प्रदेश सामान्य भविष्य निधि नियम 1955 के नियम 29 के नीचे अंकित नोट-3 के अनुसार सामान्य भविष्य निधि के अंतिम भुगतान हेतु इन नियमों के पंचम अनुसूची में निर्धारित प्रपत्र में उचित माध्यम से आवेदन पत्र महालेखाकार को भेजा जाता है और महालेखाकार प्राप्त आवेदन पत्रों का आवश्यक परीक्षण कर प्राधिकार पत्र जारी करते है । यदि उक्त आवेदन पत्रों में सभी वांछित जानकारी पूर्ण रूप से नहीं दी जाती या उसमें कुछ त्रुटियां होती है तो महालेखाकार द्वारा उन प्रकरणों को संबंधित कार्यालय प्रमुख/ विभागाध्यक्ष को और आवश्यक जानकारी ~~[illegible]~~ प्रस्तुत करने या कमीयों को पूरा करने के लिये वापिस किये जाते हैं । जब तक ये प्रकरण आवश्यक पूर्ति के साथ महालेखाकार को नहीं लौटाये जाते है, भुगतान के प्राधिकार पत्र जारी नहीं हो पाते और परिणाम स्वरूप संबंधित सेवा निवृत्त कर्मचारियों को आर्थिक कठिनाई का सामना करना पड़ता ~~है~~ है ।

2/ हाल ही में महालेखाकार ने इस विभाग के ध्यान में यह लाया है कि उनके द्वारा सेवा निवृत्त कर्मचारियों के भविष्य निधि के अंतिम भुगतान के प्रकरण विभिन्न कार्यालय प्रमुखों/ विभागाध्यक्षों को भुगतान के प्राधिकार पत्र जारी न करने के कारणों को दर्शाते हुये त्रुटियों की पूर्ति हेतु वापिस भेजे है । इन वापिस भेजे प्रकरणों में अधिकांशतः प्रकरण काफी पुराने है । और स्मरण पत्रों के बावजूद भी ये प्रकरण त्रुटियों की पूर्तिकर आवश्यक जानकारी के साथ महालेखाकार को वापिस नहीं भेजे गये है ।

3/ यह स्थिति कदापि संतोष जनक नहीं मानी जा सकती । शासकीय कर्मचारियों को समय पर भुगतान न होने के कारण शासन के प्रति उनमें रोष उत्पन्न होता है साथ में ही

शासन पर ब्याज का भार बढ़ता जाता है ।

4/ अतः समस्त कार्यालय प्रमुख/ विभागाध्यक्ष कृपया यह सुनिश्चित करें कि उनके कार्यालय/ विभाग में महालेखाकार के इस विषयक जो प्रकरण पेन्डिंग है : उन्हें इस ज्ञाप के जारी होने के एक माह के भीतर महालेखाकार द्वारा वांछित जानकारी तथा आंकड़ों के साथ वापिस कर दिया जावे और जो त्रुटियां/कमियां उनके द्वारा बतलाई गई है उनकी पूर्ति की जावे । भविष्य में भी ऐसे कोई प्रकरण महालेखाकार द्वारा वापिस किये जाते है तो उन पर तुरन्त कार्यवाही कर उन्हें महालेखाकार को लौटाने की व्यवस्था सुनिश्चित की जायें । समस्त संबंधित अधिकारी उनके अधीनस्थ कर्मचारियों के भविष्य निधि के अन्तिम भुगतान के आवेदन भेजते समय इसकी जांच करले कि आवेदन पत्र में वह समस्त जानकारी अंकित है जो उसमें दी जाना है तथा दी गई जानकारी सही है तथा कोई जानकारी छूट तो नहीं गई है ताकि लिखा-पढ़ी में होने वाले अनावश्यक विलम्ब को टाला जा सके ।

( रणवीर सिंह )
उप सचिव.

क्रमांक एफ बी 9/5/81/आर-2/चार — भोपाल, दिनांक 13 नवम्बर, 1981

प्रतिलिपि:-

1/ राज्यपाल के सचिव/ सैनिक सचिव, मध्यप्रदेश, भोपाल ।
सचिव, लोक सेवा आयोग, मध्यप्रदेश, इन्दौर ।
नियंत्रक, शासकीय मुद्रणालय, मध्यप्रदेश, भोपाल ।
राज्य सतर्कता आयुक्त, मध्यप्रदेश, भोपाल ।
अवर सचिव (स्थापना)/ अवर सचिव (अंकेक्षण)/ मुख्य लेखाधिकारी, मध्यप्रदेश सचिवालय, भोपाल ।
समस्त वित्तीय अधिकारी/ लेखा अधिकारी/ कोषालय अधिकारी की ओर सूचनार्थ अग्रेषित ।

2/ महालेखाकार, मध्यप्रदेश ग्वालियर/ भोपाल की ओर सूचनार्थ अग्रेषित ।

3/ सचिव, विधान सभा सचिवालय, मध्यप्रदेश, भोपाल की ओर सूचनार्थ अग्रेषित ।

4/ रजिस्ट्रार, म0प्र0 उच्च न्यायालय, जबलपुर की ओर सूचनार्थ अग्रेषित ।

( [illegible] )
अवर सचिव.

* लालबानी
5-11-81.